



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट पुलिस द्वारा मात्र 06 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.2026 को वादी श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री योगेश कुमार जैन, निवासी मोहल्ला महाजनान, कस्बा थाना बेहट, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात नकाबपोस चोर द्वारा वादी की दुकान से सामान चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 202/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व घटना के सफल अनावरण हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.05.2026 को ही मात्र 06 घण्टे में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त **रवि कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गन्देवड़ थाना जनपद सहारनपुर** को गाँंगरो नहर पुल से गन्देवड़ की तरफ सड़क किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के सफेद बोरे में 02 बड़े पैकेट टिस्यू, 02 सेविग मशीन, 06 बीन वैक्स बड़े, 12 बीन वैक्स छोटे, 96 कंधे, 17 लोशन, 72 हेयर वैक्स छोटे, 06 हेयर वैक्स बॉक्स वाले, 03 आस्थाबेरी डी-टैन, 12 मशीनो में लगने वाली कंधी व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स बिना नम्बर प्लेट रजि0 नं0 UP11AK2403 बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रवि कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गन्देवड़ थाना जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

- एक प्लास्टिक के सफेद बोरे में (02 बड़े पैकेट टिस्यू, 02 सेविग मशीन, 06 बीन वैक्स बड़े, 12 बीन वैक्स छोटे, 96 कंधे, 17 लोशन, 72 हेयर वैक्स छोटे, 06 हेयर वैक्स बॉक्स वाले, 03 आस्थाबेरी डी-टैन, 12 मशीनो में लगने वाली कंधी)
- 01 मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स बिना नम्बर प्लेट रजि0 नं0 UP11AK2403 (घटना में प्रयुक्त)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 357 अनुज थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 902 गोविन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना गंगोह पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.04.2026 को वादी ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त इसरार पुत्र इकबाल निवासी मौ० मखदूम जहाँ कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं०- 214/2026 धारा 64(1)/123/351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **इसरार पुत्र इकबाल निवासी मौ० मखदूम जहाँ कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर लखनौती रोड से ग्राम बुड्डाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इसरार पुत्र इकबाल निवासी मौ० मखदूम जहाँ कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु०अ०सं० 317/21 धारा 323, 354(क), 498-A भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० व 3/4 मुस्लिम विवाह अधि०

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
2. है०का० 1013 राहुल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना मण्डी पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम व कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक **17.05.2026** को गस्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तगण **1. शादाब उर्फ नाटी पुत्र जहीर निवासी इंदिरा चौक गली नंबर थाना मंडी जनपद सहारनपुर 2. अली नवाज पुत्र शाहनवाज निवासी किराए का मकान अब्दुल वजीद का गली का नंबर पांच धोबी वाला इशरत राइस मिल के सामने गली में थाना मंडी सहारनपुर** को कमेला रोड से सरकारी कमेले के सामने रास्ते पर खाली पड़े प्लाट के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध चाकू व एक काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मो0सा0 न0 UP11CR8969 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मण्डी पर **मु0अ0स0 239/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया तथा **मो0सा0 न0 UP11CR8969 को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शादाब उर्फ नाटी पुत्र जहीर निवासी इंदिरा चौक गली नंबर थाना मंडी जनपद सहारनपुर।
2. अली नवाज पुत्र शाहनवाज निवासी किराए का मकान अब्दुल वजीद का गली का नंबर पांच धोबी वाला इशरत राइस मिल के सामने गली में थाना मंडी सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण-

- 02 नाजायज चाकू

#### अभियुक्त शादाब का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 118/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 119/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 14/2016 धारा 13G act थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 345/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 30/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0- 239/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. का0 1600 मनोज कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
3. रि0का0 1190 मनीष कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
4. है0का0 1002 विकल सोम थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
5. रि0का0 1204 विनय कुमार सिंह थाना मण्डी जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2026 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त **कुलदीप पुत्र सुभाष निवासी मौ० महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 7464/25 मु०अ०सं० 50/2023 धारा 457,380,427,411 भादवि सम्बन्धित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) को थाना क्षेत्र नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

कुलदीप पुत्र सुभाष निवासी मौ० महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० रोकश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. रि०आ० 1656 दीपू दिवाकर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 923 प्रविन्द्र थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17.05.2026

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त दानिश पुत्र फिरोज निवासी बेहट थाना बेहट जिला सहारनपुर को बिजलीघर कासमपुर पुलिया के सामने बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 136/2026 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दानिश पुत्र फिरोज निवासी बेहट थाना बेहट जिला सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण -

➤ 01 अवैध चाकू

#### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 101/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 124/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 414/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 131/24 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 60/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जिला सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 361/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 ओमपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1666 पंकज थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बडगाँव पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 17.05.2026 को अवैध कच्ची शराब की बिक्री करते हुए 01 अभियुक्त **बिट्टू उर्फ देवी सिंह पुत्र शीशराम निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को दिल्ली देहरादून हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 123/26 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता**

बिट्टू उर्फ देवी सिंह पुत्र शीशराम निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

#### **बरामदगी का विवरण**

➤ 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-**

1- उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

2- हे0कां0 321 अमरदीप थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री का परिवहन कर रहे 01 डम्पर को किया गया सीज**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 17.05.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान खनन सामग्री का परिवहन कर रहे 01 डम्पर UP 11DT 7938 चालक से मौके पर खनन संबंधी प्रपत्र मांगे गये तो खनन संबंधी कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका तो पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री का परिवहन कर रहे 01 डम्पर को थाना परिसर में खडा कराया गया। खनन संबंधी अग्रिम समस्त कार्यवाही हेतु रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित विभागो को प्रेषित की जा रही है।

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 01 डम्पर UP 11DT 7938 (अवैध खनन से भरा हुआ)

**पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमपाल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हे0 का0 680 भूपेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 17.05.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा

तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 28.46 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 5 लाख 60 हजार) बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.05.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त अभियुक्त हसीन पुत्र नसीम उर्फ बेला निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को बिजली घर फतेहपुर भादो खडंजा कमालपुर हलवाना रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 28.46 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 189/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त हसीन पुत्र नसीम उर्फ बेला निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 28.46 ग्राम अवैध स्मैक

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 189/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 227/18 धारा 3/5ए/8 गौ वध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 105/2020 धारा आयुध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
4. है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर ।



दिनांक: 17.05.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश  
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा  
तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 125 ग्राम अवैध चरस बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 17.05.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त विशाल पुत्र भारतभूषण निवासी गोपाल नगर नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को प्रभात टाकिज की पार्किंग के पीछे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 125 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 108/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल पुत्र भारतभूषण निवासी गोपाल नगर नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

➤ 125 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

2. है0का0 306 सोनू कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. रि0का0 1287 जगजीत सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नांगल पुलिस द्वारा डायल-112 पर लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2026 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा डायल-112 से प्राप्त लूट की सूचना पर ग्राम बसेडा के पास पहुँचने पर तथा सूचनाकर्ता रहमान पुत्र इखलाक नि0 मौ0 नूर बस्ती थाना मण्डी सहारनपुर से लूट के सम्बन्ध में जानकारी करने पर रहमान उपरोक्त कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। विस्तृत जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि ट्रक का परिचालक रहमान उपरोक्त व चालक फैजान पुत्र रसीद नि0 अहमदनगर कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर ने लूट की झूठी व भ्रामक व झूठी सूचना डायल-112 पर दी थी। जिस कारण इस भ्रामक व झूठी सूचना से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती थी एवं संगीन अपराध कारित हो सकता था। अतः शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अभियुक्तगण रहमान व फैजान उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ट्रक पर चालक-परिचालक हैं। हमने ट्रक मालिक के 80 हजार रुपये को हडपने के लिए यह लूट की झूठी सूचना डायल 112 पर दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. रहमान पुत्र इखलाक नि0 मौ0 नूर बस्ती थाना मण्डी सहारनपुर।
2. फैजान पुत्र रसीद नि0 अहमदनगर कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. थाना प्रभारी श्री संदीप कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र राठी थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. का0 2337 कृष्णगोपाल थाना नांगल जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2026 को वादी की लिखित तहरीरी सूचना बाबत वादी की नाबालिग बेटी के साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 32/26 धारा 126(2)/74 बीएनएस व 7/8 पोस्को अधि0 बनाम अब्दूल मालिक पुत्र खालिद निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के आधार पर अभियोग में धारा 70(2) बीएनएस की बढौतरी की गयी एवं 7/8 पोक्सो एक्ट का विलोपन करते हुए धारा 5जी/6 पोक्सो एक्ट की बढौतरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अब्दुल मालिक पुत्र खालिद नि0 मौ0 किला अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ स0पुर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नकुड़ श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सोनू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र जाहिद निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को घास काटा मशीन के पास अम्बेहटा पीर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सोनू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र जाहिद निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1 थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 650 वरणकार नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 895 अजय राठी नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.05.2026

## **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

### **थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से ई-रिक्शा से चोरी की गयी 01 बैटरी बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 17.05.2026 को वादी श्री बलजेन्द्र सिंह पुत्र सरदार महेन्द्र सिंह नि0 बसन्त बिहार दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के अन्दर खडे ई-रिक्शा से बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 252/26 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में लूट, चोरी, नकबजनी, छिनैती आदि घटनाओं की रोकथाम व इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्त **1.मोहित पुत्र कुमार पुत्र विनय निवासी पंजाबी बाग निकट शिव मन्दिर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** **2.शिवम पुत्र राकेश खेडा निवासी गली नियर डाक्टर अंजू सहगल का अस्पताल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को रेलवे कालोनी ग्राउन्ड के पास कोने पर बनी ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से ई-रिक्शा से चोरी की गयी 01 बैटरी बरामद हुई। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्षपेश किया जा रहा है ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. मोहित पुत्र कुमार पुत्र विनय निवासी पंजाबी बाग निकट शिव मन्दिर थाना सदर बाजार, सहारनपुर ।
2. शिवम पुत्र राकेश खेडा निवासी गली नियर डाक्टर अंजू सहगल का अस्पताल थाना सदर बाजार, सहारनपुर ।

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. व0उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. का0 2526 लवकेश थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
4. का0 1993 नीरज कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।